ISSN : 2456-8856

पंजीयन संख्या RNI No.: MPHIN/2002/9510 डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2021-2023 उज्जैन (म.प्र.)

UGC Care Listed and Peer Reviewed Referred Bilingual Monthly International Research Journal

प्रेषण दिनांक 30 पृष्ठ संख्या 28

आश्वस्त

वर्ष 24, अंक 217 नवम्बर 2021

अत्त दीपो भव

संपादक – डॉ. तारा परमार

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

वर्ष : 24 अंक 217
नवम्बर 2021

आश्वस्त

(सन् 1983 से निरंतर प्रकाशित)

RNI No.: MPHIN/2002/9510
ISSN : 2456-8856

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 2327 दिनांक 13/05/1999) की मासिक पत्रिका

संस्थापक सम्पादक
डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक
सेवाराम खाण्डेगर
11/3, अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श
आयु. सूरज डामोर IAS
पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक
डॉ. तारा परमार
9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :
डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली
डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात
डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात
डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

कानूनी सलाहकार
श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	अपनी बात	डॉ. तारा परमार	03
2.	Livelihood of fishing families engaged in aquaculture	Khushboo Shimran	04
3.	दिव्या, येरीगाथा और स्त्री-मुक्ति का प्रश्न	डॉ. रजनीबाला अनुरागी	09
4.	समग्र शिक्षा योजना : एक सार्थक प्रयास	डॉ. रश्मि श्रीवास्तव, सहा.आचार्या सुनील कुमार दूबे, शोधार्थी	13
5.	प्रवासी हिन्दी कहानी : संवेदना और शिल्प	डॉ. रत्ना शर्मा	18
6.	भारत में जनजातिय समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति	रफ़त फातिमा	22
7.	राष्ट्रीय चेतना और केयूर भूषण	हिमेश कुमार साहू	24

UGC Care Listed Journal

खाते का नाम – आश्वस्त (Ashwast)
खाते का नं.– 63040357829
बैंक – भारतीय स्टेट बैंक,
शाखा– फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)
IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com
E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	:	रुपये 15/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 150/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	:	रुपये 1,500/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 10,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

अपनी बात

भारतीय संविधान के प्रथम चार शब्द–''हम भारत के लोग'' वास्तव में संविधान के सबसे अधिक आधारभूत शब्द हैं, जो देश की जीवन–यात्रा के चार संकल्पित पुरुषार्थ – न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के रूप में समाहित हैं। संविधान के यह प्रथम चार शब्द और संविधान के यह चार मूल संकल्प एक नये जीवन–दर्शन, एक नये स्वप्न, एक नयी जीवन शैली, एक नयी संस्कृति, एक नयी मूल्यमाला और एक नयी निष्ठा को अभिव्यक्ति देते हैं। प्रो. ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान का वर्णन करते हुए कहा है कि यह ''सर्वोपरि एक सामाजिक दस्तावेज है।'' उन्होंने बात स्पष्ट करते हुए आगे कहा कि भारत के अधिकांश संवैधानिक उपबन्ध या तो प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक क्रान्ति के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिये बनाए गये हैं या फिर इनका उद्देश्य इस लक्ष्य की उपलब्धि के लिए अपेक्षित वातावरण बनाकर इस क्रांति को पोषित करना है।

स्पष्ट है कि हमारे संविधान की जो बात इसे भारत और विकासशील विश्व की परिस्थितियों और समस्याओं की दृष्टि से प्रासंगिक बनाती है वह वास्तव में इसका सामाजिक–आर्थिक आधार है। इसका अनूठापन है कि इसने सामाजिक–आर्थिक आधार का पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों द्वारा कल्पित उदार–अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ सामंजस्य बिठाया है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने गहन चिंतन और विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात ही भारत के लिये शासन के दर्शन और पद्धति को अंगीकार किया। संविधान के प्रारूप पर बोलते हुए बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने यह दावा किया था कि–''यह व्यवहारिक है, यह लचीला है और यह शांतिकाल में ही नहीं युद्ध काल में भी देश को एकजुट रखने में पर्याप्त रूप से सक्षम है। वास्तव में, साफ कहूँ तो, यदि नए संविधान के अधीन स्थिति बिगड़ जाए तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, वरन् हमें यह कहना पड़ेगा कि आदमी ही खराब है।'' संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था–''यदि निर्वाचित लोग चरित्रवान, निष्ठावान और योग्य व्यक्ति हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान का भी बढ़िया इस्तेमाल कर सकेंगें, परन्तु यदि उनमें ही कमियाँ हुई या उनकी नीयत ही साफ नहीं हुई तो संविधान देश की सहायता नहीं कर सकेगा।'' मैं समझता हूँ कि ये विवेकपूर्ण बातें हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।

संविधान सभा में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने यह भी बताया था कि प्रारूप समिति ने भारत के लिए संसदीय प्रणाली चुनते समय अधिक स्थिरता की तुलना में अधिक दायित्ववाली पद्धति को अधिमान्यता दी है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत सरकार हर रोज कसौटी पर कसी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि फिर भी रोजमर्रा के आधार पर जवाबदारी हासिल करना कठिन है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली संविधान सभा की सोची–समझी और सुविचारित पसंद थी।

भारतीय संविधान स्वीकारता है कि हमारा देश एक बहु संस्कृतियों वाला देश है और वादा करता है कि सरकारों द्वारा इन सभी संस्कृतियों की बगैर किसी भेदभाव के रक्षा की जायेगी। संविधान अच्छे कार्य करने का केवल एक साधन है, स्वयं में साध्य नहीं। अच्छे संविधान से जब बुरे परिणाम निकले तो समझना चाहिये कि संविधान को चलानेवाले लोगों की नियत में ही कोई खराबी हैं, जिसे छुपाये रखने के लिये वे आंगन को टेढ़ा बता रहे हैं।

स्वतंत्र भारत का इतिहास जो सुझाता है, उसके अनुसार जिसने देश और देश के कानूनों के साथ जितना बड़ा खिलवाड़ किया, वह उसी अनुपात में संभ्रांत, सम्पन्न और सक्षम बनकर समाज में पूजा जाता रहा। इस विकृत संस्कृति का उद्गम हमारे संविधान से नहीं बल्कि उस संस्कृति से होता है जो सिखाती है कि–समरथ को नहीं दोष गुसाई।

अतः यदि हम मन से चाहते हैं कि देश का अच्छा कानून अच्छे परिणाम भी दे, उसके अंदर समाहित समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे की भावनायें निर्विरोध फल–फूलकर इस देश को एक सुदृढ़ सम्पन्न और शांतिमय देश बनाने में अंततः सफल हो तो उन शास्त्रों की समीक्षा करनी होगी जिनकी मान्यताएं संविधान की मान्यताओं का सच्चा कार्यान्वयन करने में पग–पग पर बाधक बनी रहती है और जो संविधान की कटिबद्धता के विपरीत खड़ी रहने के लिये जनमानस के विवेक पर हावी बना दी गई है। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि संविधान के पीछे का मूल दर्शन और संविधान का मूलभूत सामाजिक, आर्थिक आधार पवित्र और अलंध्य बना रहे। संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाऐं।

जय भीम! जय संविधान।

– डॉ. तारा परमार

Livelihood of fishing families engaged in aquaculture

- Khushboo Shimran

Abstract

Aquaculture is an important livelihood activity for the fishing community. Most of the people in this community engaged in their traditional occupation. The aquaculture sector plays important role in their employment opportunities, earning, economy, food supplementing thus improving the socio-economic condition. The study was conducted in the north-western region of the Kosi river Basin of Bihar. Darbhanga district was selected for the study among the fishing community. Biraul block was selected purposively and the sample was selected randomly. Focus Group Discussion was conducted in Supaul village. The participants of FGD were both men and women of the fishing community. The discussion was carried out on their livelihood status. The data was collected, written out into expanded scripts, and analyzed to draw suitable inferences. The discussion showed that the fishing community engaged in fish and related activities. Mostly they were involved in fish catching or boating and selling fish. They engaged in more than one occupation including agriculture labor. Fishing workers account for employment during seasonal peak after that they migrate to other places for employment opportunities. Women often support to husbands by selling fish and earnings. Children also participate in their occupation by collecting shellfish, fish, crab, and other produce. All family members help each other and their participation in earning supports for their livelihood.

Keywords: Women, Aquaculture and Fisheries

Introduction

Bihar has immense aquatic and freshwater resources. Northern Bihar is filled with perennial rivers *i.e.,* Kamla Balan, Bagmati, and Kosi river. Kosi river region has plentiful natural fisheries resources in the form of rivers, reservoirs, chaur, mauns, lakes, ponds, and tanks. Flooding is annual due to breaches of the embankments and drainage systems. There is a flood due to which the rivers are swollen and burst around the banks and devasted the land during the rainy season and in the summer there is no drought and water level and its flow diminishes. The plains are nutrient-rich due to inundation and nourish fish larvae, fingerlings, and adult fish in their habitat. Fish migrate back to the rivers with the receding water after the end of the monsoon. Kosi region is flood-prone due to a large number of natural water resources as the flood is annual and regular. Darbhanga district in this region is known for land of ponds with very rich and fertile land. It

crosses 3 rivers *i.e.,* Koshi, Kamla Balan, and Bagmati. Darbhanga is famous for traditional Mithila culture, Fish, Bettel, and Makhana. The skilled person for these aquaculture activities is mainly the fishing community. Fishing community culture and captures the fishes in the river system. They mainly depend on inland fisheries and catches fishes that flow in the river. They also catch fish, shellfish, concha, crab after the flood fills the low-lying lands, ponds, dried-up tanks, and abandoned rivers with water. They have their livelihood from aquaculture production and marketing. Most of the time they occupied fish farms, ponds, and other related activities for securing livelihood through income generation. the household that does not have their pond or land they engaged as manpower to other ponds or farms for earning. Women were also provided with opportunities to earn income for their household. Household engaged in this sector has other members also to support financially. The entire family is devoted to this sector. This sector is labor-intensive and drudgery prone also.

Methodology

Focus Group Discussion (FGD) is a qualitative research technique consisting of a structured discussion and used to obtain in-depth information from a group of people about a particular topic. It is a good way to gather together people from similar backgrounds or experiences to discuss a specific topic of interest. The group of participants introduces topics for discussion and helps the group to participate in a lively and natural discussion amongst them. The FGD allow the participants to agree or disagree with each other so that it provides an insight into how a group thinks about an issue, about the range of opinion and ideas, and the inconsistencies and variation that exists in a particular community in terms of beliefs and their experiences and practices. FGD sessions need to be prepared carefully through identifying the main objectives of the study and developing key questions. The group respondents were more comfortable in voicing their views, ideas, and information. Each respondents got a chance to reflect on the viewpoint of others either they agree or disagree. All respondents were asked questions that provide more information on their engagement.

The study was conducted in the north-western region of the Kosi Basin of Bihar. For the sample selection, Darbhanga district was selected based on a larger number of ponds, tanks, rivulets, ditches, the dry catchment area of dams, canals, etc; filled up with water. One block from Darbhanga district comprising fishing community was selected. The purposive random sampling design was used for the selection of the sample and Focus Group Discussion was conducted with 10 participants in Supaul village of Biraul block and 50 farmers of the fishing community were interviewed with a

structured schedule. The discussion led to their livelihood status in their respective areas. Both men and women of the fishing community participated. It was conducted in office of Matsya Jivika Samiti, Biraul for ease of members in FGD. The FDG was conducted for two hours. The data was collected, written out into expanded scripts and interpreted as per need to draw suitable inferences.

Result

Focused Group Discussion was conducted among the household of the fishing community engaged in fisheries. In the beginning livelihood status of fishing community was discussed and asked to explain their livelihood status. They were invited to express their livelihood options also. They explained firstly about their living styles. The participants of FGD opined that the life of the fishing community is dangerous but they live a very simple life following traditional occupation. Respondents were illiterate but they were educating their children in their village/block school or college. Their children were also taking private tuition. There are efficient means of transportation from the village to other areas. They affirmed about not having their pond, either fish on government ponds, Jalkar, running flow of the river. They confirmed their semi-pucca house due to migration as migration helps in earning more. They had their own house and some of them from Indira Awas Yojana and every house of the villages have a sanitation facility in terms of the latrine. The participants perceived themselves as landless and farming on sharecroppers (Batai). Most households have mobile, TV, Gas stove, wardrobe, table, and chair. They were also caring for livestock namely cows, goats. There is an electric facility and adequate drinking water facility, some of them buying purified water for drinking.

Community members had mixed perceptions about food. They prefer non-vegetarian foods namely fish, shellfish, mutton, crab, tortoise. Some castes of the community only prefer chicken as non-vegetarian food but men members of any sub-caste who want to eat can eat outside the home. They also perceived watching TV, mobile, talking to the neighbor as entertainment activities. The children were playing Cricket, Carom, Ludo, and women, as well as girls, also showed interest in tailoring, painting, and weaving. The decision-maker of the household was mainly men but they favour decisions taken by all members in household activities, health and nutrition.

People of this community follow the Hindu religion. They worship rivers, mountains, and plants. They pray god namely Kamla Baba, Koyla Baba, Shokha Baba, Shikari Baba, Pir Baba, for a better situation and life condition. There is no child marriage case reported by the group but the dowry system is prevailing in terms of cash, or goods which include jewelry, furniture,

electric appliances, crockery, utensils, bike, bicycle, and other household items. Inter-caste or widow or divorce marriage was not reported by participants. It was claimed about no untouchability with other caste or religion.

The community identified aquaculture as an important occupation for their livelihood. Due to abundant natural resources in this area they experienced heavy rains, floods, water inundation. The low-lying areas are spotted with perennial ponds, rivers, and lakes and the water level rises during floods. There is 2750 chaur (ponds and tanks) in Darbhanga Districts. Many ponds can be seen full of fish, Makhana and Lotus which are occupied by the fishing community. So they catch aquaculture produces from flowing rivers for their survival, catching and selling them live for the support of livelihood. There are one government pond and Jalkar, two private ponds, a dry catchment area, and Kosi river flow in Biraul block. They do not have their land or pond. They took loan or credit from Societies, SHGs, and other family members or friends for business. They have to depend on Jalkar Samiti permission for fishing. They mainly engaged in aquaculture, fishing, boating, selling fish, agriculture labor, daily labor also. In daily wages, they earn 250-350 depending on the work pattern. They work as agriculture labor and other fishing activities mainly for 4-6 months. They occupied more than one occupation for earnings. The family who do not catch fish sell purchased fish, vegetables, fruits. Middleman serves as the main moneylender while purchasing fish and fish rates. They were also occupied in mango orchard occupation for one or two years. They were also engaged in makhana processing along with their children and other family members. Children collect crab, shellfish, and also care for livestock. Family labor is an important contribution as all family members were earning members. In this sector child labor is ample. Most of them migrate with the family to other districts or states for job opportunities. They migrate for 6 months to another district for makhana processing also. Their monthly income is about 10-15 thousand. They also save some money for household expenses, child education, and use during the offseason. They mainly work for 8-10 hours. Their work starts from 4 am till 8 pm; sometimes their work starts at 2 pm for the people who go fishing.

Women of the fishing community are mainly engaged in fish-related business. They engage themselves in collecting, sorting and buying fish from fishermen and selling in local markets, street, and doors for income. Long-distance travel was common in bulk buying and selling. They travel solely either with auto-rickshaw or walk for in search of opportunities to earn. The time spent by women in the morning range from 4 am to 10 am and evening 4 pm to 7 pm. Work at the site includes sorting, collecting, purchasing, packing loading, unloading, vending, cutting, cleaning. All these

activities were perceived by the women fishing community as a very difficult tasks and drudgery prone. Participants observed fish cutting, cleaning, and selling as the most difficult tasks as they suffered from cut injuries and washing their hands more frequently. The participants also suffer from pain, skin diseases, eczema, itching, and dermatitis. Men members reported their suffering from a parasitic infestation, wounds, and insect bites.

The participants discussed that Fishing Co-operative Societies were mainly run by the fishing community and the villagers were members of the society. Total Members in the **Matsya Jivi Sahyog Samiti** is 6526 of which women and men are 1671 and 4855 respectively. Some of them were Mukhiya, Secretary, members, and others. They joined Samiti for benefits of government initiatives but also worked for voting purposes. They showed the constraints in availing loans, credit and accessing various government schemes and yojana as they were unaware of information regarding filling form within time. The observation surmised lack of knowledge and poor extension linkages of fishermen community with extension functionaries.

Conclusion

River, ponds, and tanks are perennial in this area, and fishing is done in almost all of the area. The fishing community catch fish, collect shellfish, crab in this area, and some people also go to other areas for fishing. Their occupation as fishing is mainly for six month and they migrate for six months to other districts or states. They occupied more than one occupation for their survival. They take loans or credit from SHGs, Samiti, and other family members or friends. They save money to use during the close season or for migration. They work for more than eight hours and all family members are supporting each other in their livelihood. This occupation is perceived as herculean activities and thus they suffers from lots of drudgery in terms of pain and skin diseases.

Research Scholar
Division of Sociology & Social Anthropology
AN Sinha Institute of Social Studies,
Patna, Bihar, India Mob. 9113342210

References

De, K.C. (1910). Report on The Fisheries of Easter. Bengal and Assam Shillong, 33-35.

Gupta, K.G. (1908). Results of Enquiry into the Fisheries of Bengal and into Fishery Matters in Europe and America, Calcutta, 13.

Handbook on Fisheries Statistics. (2016-17). Directorate of Fisheries, Bihar.

Hora, S. L. (1953). Knowledge of the Ancient Hindus concerning Fish and Fisheries of India, *Journal of the Asiatic Society Letters,* Vol, XIX, No.2, 70. Also see, Sur Atul: 'Samaj, Sanskriti o Dharma' *Saradia Ananda Bazar Patrika,* 1387 (Bengali), p. 56.

RoyChaudhari, B. (1969). Some Fishing communities of West Bengal, *Man in India,* Vol-49, No-3, 243.

दिव्या, थेरीगाथा और स्त्री–मुक्ति का प्रश्न

– डॉ. रजनी बाला अनुरागी

प्रस्तावना

यशपाल एक प्रगतिशील कथाकार के तौर पर हिन्दी साहित्य में जाने जाते हैं। एक तरफ उनका संबंध स्वतंत्रता संग्राम में शामिल क्रांतिकारियों और उनके संगठन से था तो दूसरी तरफ स्वातंत्र्योत्तर भारत में वे मार्क्सवादी विचारधारा से भी जुड़े रहे। इसका प्रभाव उनके लेखन के उद्देश्य, उसकी अंतरवस्तु के चुनाव और अभिव्यक्ति आदि पर काफी गहरे पड़ा। यशपाल का समूचा लेखन और खास तौर पर उनकी कहानियां इस बात को दर्शाती हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और बाद में उभरते और स्थापित होते हुए मध्यवर्ग के कटु यथार्थ, दिखावे और अंतरविरोधों को बेहद निर्ममता और महीनता के साथ उभारा है। यशपाल हिन्दी के पहले लेखक हैं जिन्होंने भारत विभाजन की पूर्व स्थितियों और विभाजन के समय और बाद में हुई त्रासदी की बहुत ही गहन और विशद अभिवयक्ति अपने उपन्यास 'झूठा सच' में किया है।

यशपाल का लेखन निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण लेखन है। उनकी प्रगतिशील लेखन दृष्टि जीवन के उन इलाकों में भी पहुँचती है जो आम तौर पर अछूते रह जाते हैं। विषय को ट्रीट करने और उसको अभिव्यक्त करने की उनकी शैली सरल दिखाई देते हुए भी काफी गंभीर होती है। लेकिन स्वातंत्र्योत्तर भारत में उभरे विभिन्न विमर्शों के जरिये जब यशपाल सरीखे साहित्यकारों के लेखन को पढ़ा और समझा जाने लगा तो उनके लेखन के अंतराल और अंतरविरोध उजागर होने लगे। 'दिव्या' यशपाल का एक बहुप्रसिद्ध उपन्यास है और भारत के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इस उपन्यास की कथावस्तु और विन्यास में कई तरह के समस्याग्रस्त इलाके हैं जिनमें से एक है इसका स्त्रीवादी पाठ और उसके अन्तरविरोध। लेखक ने इस उपन्यास में कुछ ऐतिहासिक स्रोतों और तथ्यों का प्रयोग करते हुए भी इस उपन्यास की कथावस्तु को 'ऐतिहासिकता कल्पना' कहा है। इस शोधालेख का उद्देश्य इन्हीं अन्तरविरोधों की जांच–पड़ताल करना और वस्तुनिष्ठ सच्चाई को सामने लाना है।

बीज शब्द : दिव्या, थेरीगाथा, अंतर्विरोध, विमर्श, ऐतिहासिक, बौद्धकालीन, भिक्षुणी, भिक्षुणी संघ, प्रव्रज्या, धम्मदीक्षा, मुक्ति, निर्वाण, 'दिव्या' उपन्यास उसकी नायिका दिव्या को केन्द्र में रखकर लिखा गया है। दिव्या का कथा विन्यास बौद्धकालीन समय और समाज की पृष्ठभूमि पर रचा बसा गया है। यानी इस उपन्यास की पृष्ठभूमि में बुद्ध मौजूद नहीं हैं लेकिन उनका प्रभाव मौजूद है। दिव्या उपन्यास का कथानक दिव्या की गाथा से शुरू होकर उसी की करुणगाथा पर समाप्त होता है। राजेश कुमार अपनी किताब 'दिगम्बरा–हिन्दी उपन्यास बदलते पाठ' में लिखते हैं–"उपन्यास का केन्द्रीय पात्र 'दिव्या' प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल की कन्या है। उसे समाज में कला की प्रतिमूर्ति होने का सम्मान प्राप्त है। जब तक वह पितृसत्तात्मक और ब्राह्मणवादी आचारसंहिता का अनुपालन करती है, तब तक सुविधासंपन्न और प्रतिष्ठित जीवन जीती है। जब वह आचार संहिताओं से अनुमति लिए बिना आत्म निर्णय लेती है तो उसका जीवन उसी के लिए एक कलंक बन जाता है। वह सुविधा संपन्न और प्रतिष्ठित जीवन के साथ साथ अपनी पहचान भी खो देती है.....उसे एक दासी, नर्तकी और वेश्या का जीवन जीना पड़ता है'।[1]

स्त्री मुक्ति का प्रश्न और बौद्ध धम्म के अन्तरविरोध : मद्र गणराज्य की सागल नगरी में 'मधुपर्व' उत्सव के अवसर पर आयोजित नृत्य समारोह में सरस्वती–पुत्री का सम्मान प्राप्त करने वाली धर्मस्थ महापंडित देव शर्मा की प्रपौत्री कुमारी दिव्या दासकुलोत्पन्न महाश्रेष्ठि प्रेस्थ के पुत्र पृथुसेन से सहानुभूति रखती है। दिव्या उसके साथ हुए अन्याय की

वेदना अपने ह्रदय में महसूस करती है और पृथुसेन से अनुराग रखने लगती है। आत्मसमर्पित हो उसके अंश को गर्भ में धारण करती है। पृथुसेन जब केन्द्रस युद्ध से विजित हो वापस लौटता है तो दिव्या को यह बताने का अवसर ही नहीं मिलता कि उसके गर्भ में पृथुसेन की संतान है। प्रेस्थ प्रासाद में दुविधाग्रस्त पृथुसेन जब उस से मिलने तक में असमर्थता जताता है तो वह अपमान और असीम दुख से ग्रस्त हो घर न लौटने का निश्चय करती है। इस स्थिति में एक वृद्धा द्वारा वह एक दास–व्यवसायी प्रतूल के चंगुल में फंस जाती है। प्रतूल उसे दास व्यवसायी भूधर को बीस स्वर्ण मुद्राओं में बेच देता है। जहां से पुरोहित चक्रधर सद्य प्रसुता दासी दारा (दिव्या) को पचास स्वर्ण मुद्रा में क्रय कर लेता है क्योंकि उसे अपने सद्य जन्मे पुत्र के लिए दुग्ध की व्यवस्था करनी थी। चक्रधर की दासी लोमा दारा के अपने शिशु शाकुल को दुग्धपान के चौर्य में स्वामी द्वारा उसके बच्चे को कहीं दे डालने के निश्चय के बारे में बताती है। इस विषय में पता चलते ही वह श्रमण की शरण देने के निमंत्रण की पुकार पर तृप्त मध्यान्ह में ही बौद्ध विहार में पहुंच जाती है और भिक्षु स्थविर से संघ में शरण मांगती है लेकिन उसे वहां निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि स्थविर उससे कहते हैं कि स्त्री को संघ में शरण पाने के लिए अपने अभिभावकों से अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही यह भी कि वेश्या के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं क्योंकि उनकी नजर में वेश्या स्वतंत्र है। इसी बिन्दु पर आकर ...."यह उपन्यास स्त्री की करुणगाथा का दस्तावेज, स्त्री के आत्मनिर्णय और स्वाभिमान का प्रश्न उठाने और स्त्री अधिकारों की बात करने के क्रम में 'बौद्ध धर्म' को भी कठघरे में खडा करने में संकोच नहीं करता है।[2]

ऐतिहासिक कल्पना, ऐतिहासिकता और उसके स्रोत :– 'दिव्या' उपन्यास के आन्तरिक शीर्षक पृष्ठ पर शीर्षक के नीचे दिया गया है – 'बौद्धकालीन उपन्यास'। उपन्यास का यह उपशीर्षक कहीं न कहीं इस तथ्य की ओर इशारा है कि इस उपन्यास को एक ऐतिहासिक उपन्यास की तरह पढ़ा और समझा जाए। लेकिन उपन्यासकार इस तथ्य से इंकार करते हुए कहता है....'दिव्या' इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्र है। लेखक ने कला के अनुराग से काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयास किया है।"[3] इस शोधालेख में आगे इस तथाकथित 'यथार्थ के रंग' का विश्लेषण और व्याख्या की जायेगी।

'दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है'–कहने के बावजूद लेखक अपने ऐतिहासिक ज्ञान की न्यूनता को स्वीकार करता है और विभिन्न व्यक्तियों और ऐतिहासिक ग्रंथ स्रोतों का उपयोग करता है और बौद्धकालीन वेशभूषा और वातावरण को ह्रदयंगम करने के लिए अजंता और एलोरा की यात्रायें करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर दिव्या की कथावस्तु को ऐतिहासिक कल्पना मात्र ही रहना था तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को तलाशने और जानने की इतनी कवायद लेखक क्यों करता है? अगर थोड़ा सा और प्रयास किया जाता तो यह उपन्यास सचमुच में एक ऐतिहासिक उपन्यास होता और यह एक ऐतिहासिक काम होता। लेकिन लेखक केवल बौद्धकालीन समय और समाज के वातावरण को उभारने में ही उलझा रहा और असल चीजों को उसने दरकिनार कर दिया। इस संदर्भ में यह भी एक तथ्य है कि अपने पूर्वाग्रहों और संकीर्ण समझ के चलते लेखक ने तत्कालीन बौद्धकालीन समाज का जो चित्र अपने उपन्यास में उभारा है वह उस समय के बौद्धकालीन समाज और मूल्यों से मेल नहीं खाता।

इस उपन्यास के विषय में यह एक तथ्य है कि यह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर केन्द्रित उपन्यास है और यह पृष्ठभूमि बौद्धकालीन समय और समाज की है। इस उपन्यास में कुछ ऐसे व्यक्तियों और स्थानों के नामों का प्रयोग किया गया है जो तथ्यात्मक रूप से ऐतिहासिक हैं। मसलन इसमें यवन सम्राट मिनान्डर और उसकी राजधानी सागल (स्यालकोट, पाकिस्तान) का जिक्र है

जो बाद में बौद्ध धम्म से प्रभावित होकर बौद्ध हो गया और मिलिन्द के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 'मिलिन्दपंह' किताब के पुरोवाक् खंड में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान डॉ धर्मकीर्ति लिखते हैं...."राजा मिलिन्द का काल ईसा पूर्व 150 वर्ष का था....साकल (यशपाल ने जिसे सागल कहा है) देश का राजा मिनान्डर था जिसकी राजधानी शाकल देश थी। उत्तर भारत में शासन करने वाले बैक्ट्रिया के ग्रीक राजाओं में मिनान्डर बड़ा प्रतापी, धर्मनिष्ठ, न्याय प्रिय और प्रजा पालक राजा था। असने सतलुज नदी पार करके यमुना नदी के आसपास तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। मथुरा में राजा मिनान्डर के कुछ सिक्के मिले थे, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है , उसका राज्य मथुरा तक फैला हुआ था।[4]

इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस उपन्यास की कथाभूमि की पृष्ठभूमि बौद्ध सम्राट के बाद के 100 वर्षों की कालावधि में कहीं अवस्थित है। इस उपन्यास में यशपाल खुद लिखते हैं..."महापंडित (धर्मस्थ देवशर्मा, दिव्या जिनकी प्रपौत्री हैं) के यौवनकाल में महाप्रतापी यवन राज मिलिन्द ने दुर्धर्ष यवन सेना लेकर मद्र से पौरव वंश के राज्य का उच्छेदन कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। महाराज मिलिन्द ने उनके पिता पौरव राज्य के धर्मस्थ महापंडित वागीश शर्मा का स्वर्गवास होने पर पंडित देव शर्मा की विद्वता और बुद्धि के आदर में उन्हें धर्मस्थ का पद सौंप दिया था।"[5]

इस ऐतिहासिक तथ्य से यह पता चलता कि इस उपन्यास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सम्राट मिलिन्द के बाद की है। और यह समय बौद्ध धम्म और संस्कृति के उठान का है न कि उसकी गिरावट का। बुद्ध धम्म में गिरावट अपने आंतरिक कारणों, बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु, उनके साम्राज्य के बिखराव और शंकरचार्य के अभ्युदय के बाद से यानी सातवीं शताब्दी से शुरु होता है। यानी इस उपन्यास की कथाभूमि की पृष्ठभूमि के समय ब्राह्मणवादी संस्कृति और विचारधारा इतने मजबूत नहीं थे कि वे बौद्ध धर्म के मूल्यों में अपने मूल्यों का समिश्रण कर पाते जैसा कि इस उपन्यास में दिखाया गया है। इस समय तक बौद्ध धम्म (चेरी धर्म) अपनाने और भिक्षुणी बनने के लिए स्त्रियां स्वतंत्र थीं और उनके आत्मनिर्णय का आदर किया जाता था।

स्त्रियों की धम्म दीक्षा और भिक्षुणी संघ का निर्माण : जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु लौटे तो शाक्य स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ठ होने के लिए उतनी ही उत्सुक थीं जितने पुरुष। ऐसी स्त्रियों की अगुआ स्वयं महाप्रजापति गौतमी थीं। उन्होंने सिद्धार्थ से स्त्रियों को भी धर्म–विनय के अनुसार प्रव्रजित होने देने की अनुज्ञा देने का निवेदन किया जिसे सिद्धार्थ ने यह कह कर मना कर दिया कि...."गौतमी! रहने दे। ऐसे विचार को मन में उत्पन्न न होने दे।"[6] आनन्द के यह सवाल पूछने पर कि स्त्रियों से ऐसा भेदभाव क्यों? तो सिद्धार्थ उत्तर देते हैं...."आनन्द! मुझे गलत मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं....महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने स्वीकार नहीं किया है, वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हेय समझने के कारण नहीं , बल्कि व्यवहारिक कारणो से ही।"[7]

बाद में बहुत सोच विचारकर सिद्धार्थ स्त्रियों को प्रव्रज्या देने और संघ में शामिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन इस शर्त के साथ कि उनको उनके बनाये गये आठ नियमों का पालन करना होगा। महाप्रजाप्ति गौतमी उन नियमों को न सिर्फ खुद के लिए स्वीकार करती हैं बल्कि उन स्त्रियों से भी उनका पालन करवाने की जिम्मेदारी भी अपने सर पर लेती हैं जो उनके बाद धम्म दिक्षा ग्रहण करेगीं। इन नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं था कि स्त्रियों को प्रव्रज्या ग्रहण करने और संघ में शामिल होने के लिए अपने पिता, पति, पुत्र या स्वामी से अनुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि थेरीगाथा में कई ऐसी स्त्रियों का भी जिक्र आता है जो अपने परिवार के सदस्यों से एक तरह की अनुमति लेकर या उन्हें बताकर संघ में शामिल हो जाती। लेकिन

संघ में शामिल होने की यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं थी। यहां एक बात और संघ के संदर्भ में एक और तथ्यात्मक बात उल्लेखनीय है कि संघ के भीतर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी स्तर का नहीं था। डॉ. अम्बेडकर लिखते हैं..."संघ के भीतर यदि कोई वर्गीकरण था तो पुरुष–स्त्री की दृष्टि से था। भिक्षु–संगठन पृथक था और भिक्षुणी–संगठन पृथक। .... भिक्षुणी–संघ में प्रवेश पाने के नियम भी बहुत कुछ वे ही या वैसे ही हैं जो भिक्षु संघ में प्रवेश पाने के नियम।[8]

बौद्धों का धर्मग्रंथ त्रिपिटक माना जाता है। इसका पहला पिटक सूत्रपिटक है। सूत्रपिटक में पांच निकाय हैं–दीघनिकाय, मज्झिमनिकाय, संयुक्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय और खुद्दकनिकाय। खुद्दकनिकाय में पन्द्रह ग्रंथ शामिल हैं जिनमें से एक 'थेरीगाथा' है। बुद्ध की समकालीन स्त्रियों की आत्मकथाओं, स्वतंत्रता और निर्वाण पाने और संघ में शामिल होने की उनकी इच्छाओं को प्रकट करने वाला यह पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। थेरीगाथा में तिहत्तर थेरियों की गाथाएं संकलित हैं जो पूर्णतया ऐतिहासिक पात्र हैं। थेरीगाथा में स्त्री अस्मिता के प्रारंभिक स्वर सुनाई पड़ते हैं। इस विषय में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान डॉ. विमलकीर्ति लिखते हैं... "थेरीगाथा में भिक्खुड़ियों का जो व्यक्तित्व व्यक्त हुआ है, उनके व्यक्तित्व के चरित्र के जो गुण व्यक्त हुए हैं, वे भारतीय साहित्य में अन्यत्र व्यक्त नारियों के चरित्र से एकदम भिन्न हैं।"[9]

तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों के चित्र थेरीगाथा की थेरियों की गाथाओं में देखने को मिलते हैं। स्त्रियां घर–परिवार की व्यवस्था का निम्न अंग मानी जाती थीं। घर से अलग उनका कोई अस्तित्व और व्यक्तित्व नहीं था। केवल पुरुष की सेविका बन कर उसकी गृहस्थी चलाना ही स्त्री का एकमात्र लक्ष्य था। उसके लिए ज्ञान और मुक्ति के सारे रास्ते बंद थे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान डॉ धर्मकीर्ति 'थेरीगाथा' में बुद्ध नारी जाति की समानता के लिए विश्व में पहले समर्पित महामानव थे..."तथागत ने इस मामले में क्रांतिकारी विचार देकर वैदिक तथा जैन परंपराओं में आमूल–चूल परिवर्तन करके भिक्खुड़ियों द्वारा अर्हत पद प्राप्त करने की संभावनाओं के द्वार खोल दिए।"[10] इस बात को संघा थेरी का आत्मकथ्य स्थापित करता है जब संघा थेरी कहती है..."प्रव्रज्या लेकर मैंने घर छोड़ा, अपनी प्रिय संतान को छोड़ा, अपने प्रिय पशुओं को छोड़ा। राग और द्वेष को छोड़ा, अविद्या को छोड़कर विरक्त हुई। तृष्णा को समूल नष्ट कर अब मैंने निर्वाण की परम शक्ति का अनुभव किया है। निर्वाण का अनुभव करके मैं परम शांत हो गई हूँ।"[11]

निष्कर्ष

इस शोधालेख में अब तक हुए तथ्यपूर्ण विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि यशपाल ने जिस ऐतिहासिक समय के आधार पर दिव्या उपन्यास की रचना की है उस समय तक बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष पर था उसमें थेर और थेरियों की प्रव्रज्या के निर्धारित नियमों में कोई भी बदलाव नहीं आया था। फिर दिव्या उपन्यास में दिव्या के बौद्ध धर्म में शरण लेने के समय स्थविर ने दिव्या से पति, पिता, पुत्र और यदि दासी है तो स्वामी की अनुमति की बात क्यों कही जबकि थेरीगाथा जो कि पूर्णतया ऐतिहासिक है उसमें तथा बौद्ध धर्म के अन्य ग्रन्थों में कहीं भी ऐसा वर्णित नहीं है। पृथुसेन को स्थविर स्वयं प्रव्रज्या के लिये प्रोत्साहित करते हैं फिर दिव्या को यशपाल मुक्त क्यों नहीं होने देना चाहते? जबकि बौद्ध धर्म स्त्रियों को पुरुषों के समान निर्वाण की अधिकारिणी मानता है और उन्हें संघ में स्थान देता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रश्न शेष रह जाते हैं जिनका उत्तर बौद्धयुगीन समय और समाज के ऐतिहासिक तथ्यों की जांच पड़ताल से ही खोजा जा सकता है।

– डॉ. रजनी बाला अनुरागी
एसोसियेट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय
मोबा. 9999439442

संदर्भः–

1. दिगंबरा, राजेश कुमार, कौटिल्य बुक्स–दिल्ली, ISBN : 978–93–87809–71–0, संस्करण : 2019, पृष्ठ–65
2. वही, पृष्ठ–67
3. प्राक्कथन, दिव्या, यशपाल, लोकभारती प्रकाशन,इलाहाबाद, संस्करण रू 2010, पृष्ठ – 11
4. पुरोवाक् , डॉ धर्मकीर्ति, मिलिन्दपंन्ह, अनुवादक–भिक्खु जगदीश काश्यप, सम्यक प्रकाशन–दिल्ली, संस्करण रू 2011, पृष्ठ–5–6
5. दिव्या, यशपाल, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण : 2010, पृष्ठ – 22
6. भगवान बुद्ध और उनका धर्म, डॉ अम्बेडकर, अनुवादक–डॉ भदन्त आनन्द कौशल्यायन, बुद्धभूमि प्रकाशन, नागपुर, संस्करण : 1997, पृष्ठ–152
7. वही, पृष्ठ–152
8. वही, पृष्ठ–332–333
9. एक मत, थेरीगाथा, संपादन–डॉ विमलकीर्ति, सम्यक प्रकाशन–दिल्ली, संस्करण : 2008, पृष्ठ–12
10. मंगलकामनाएं, डॉ भिक्खु सत्यपाल, थेरीगाथा, संपादन–डॉ विमलकीर्ति, सम्यक प्रकाशन–दिल्ली, संस्करण रू 2008, पृष्ठ–9
11. थेरीगाथा, संपादन–डॉ विमलकीर्ति, सम्यक प्रकाशन–दिल्ली, संस्करण : 2008, पृष्ठ–9

समग्र शिक्षा योजना : एक सार्थक प्रयास

डॉ.रश्मि श्रीवास्तव, सहा.आचार्या
सुनील कुमार दूबे, शोधार्थी

सारांश : सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समानता एवं न्यायसंगत समाज के निर्माण के लिए शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण साधन है। वर्तमान समय में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए उचित दृष्टिकोण एवं प्रासंगिक ज्ञान से युक्त शिक्षित समुदाय अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा न केवल सामाजिक एकजुटता एवं राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देती है साथ ही साथ सम्पूर्ण देश को एक सूत्र में बाँधती है। समग्र शिक्षा योजना लागू होने के बाद भारतीय विद्यालयीन शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किये गये है जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, समग्र दृष्टिकोण, लैंगिक विभिन्नताएँ, नैतिक बाध्यता के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में मापन एवं वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समग्र शिक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति की पहचान करना और उनके विकास हेतु प्रयास करना, गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की पहुँच में वृद्धि करना, वंचित समूह तथा कमजोर वर्गों के समावेशन के माध्यम से समता एवं समानता को बढ़ावा देना तथा सभी को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसी सन्दर्भ के अंतर्गत प्रस्तुत आलेख में गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा में समग्र शिक्षा योजना के योगदान पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य शब्द : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समग्र शिक्षा योजना एवं क्रियान्वयन।

प्रस्तावना :

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार स्तम्भ है। जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा महत्त्वपूर्ण साधन है। यह हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता प्रदान करती है। सम्पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया गया ज्ञान व्यक्ति को जीवन में आत्मनिर्भर बनाता है साथ ही साथ यह जीवन में बेहतर संभावनाओं को प्राप्त करने के अवसर के विभिन्न दरवाजे खोलती है। शिक्षा समाज में सभी व्यक्तियों में समानता की भावना लाती है और देश के विकास में योगदान देती है। शिक्षा समाज में एकीकृत बल के रूप में कार्य करती है जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन द्वारा देश की उन्नति सुनिश्चित् होती है। देश में शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की

गयी, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कुछ योजनाएँ जैसे—सर्व शिक्षा अभियान (2001), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (2009) और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (1986) द्वारा बहुत प्रयास किए गए परंतु विद्यालय शिक्षा प्रणाली को सार्थक रूप से प्रभावी नहीं बनाया जा सका और न ही उसे पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सका।

समग्र शिक्षा के आने से पूर्व भारत सरकार की तीन योजनाएँ थी। प्रथम सर्व शिक्षा अभियान, द्वितीय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा तृतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। प्रारम्भ में यह तीनों योजनाएँ पृथक्—पृथक् रूप में कार्य करती थी जिसके कारण इन योजनाओं द्वारा संचालित कार्यों में पुनरावृत्ति हो रही थी, क्योंकि सभी के कार्य विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित थे। अत: इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन तीनों योजनाओं को सम्मिलित रूप से विद्यालय शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना के अंतर्गत रखा जिसका नाम 'समग्र शिक्षा योजना' है। जिसका मुख्य लक्ष्य विद्यालय शिक्षा में सुधार कर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से तात्पर्य सम्बन्धित विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थियों को विवेचनात्मक प्रश्न पूछने, समस्या का समाधान करने की योग्यता और रचनात्मकता की भावना के साथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, बहु विषयक केन्द्रित शिक्षा एवं नवाचार की संस्कृति को जीवन शैली से जोड़ना है। इसके लिए सबसे महत्त्वपूर्ण दायित्व है कि सभी बच्चों को स्कूल जाने एवं पढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराया जाये।

समग्र शिक्षा योजना की आवश्यकता : भारत सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में शिक्षा के बजट में वृद्धि एवं उसकी संरचना में परिवर्तन (10+2+3) करने की सिफारिश की। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में शिक्षा की दशा व शिक्षा में परिवर्तन के सन्दर्भ में विभिन्न सुझाव दिए गये। सर्व शिक्षा अभियान (2001) एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में विद्यार्थियों के नामांकन पर विशेष बल दिया गया। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में विद्यार्थियों के सर्वांगिण विकास को आधारभूत लक्ष्य माना गया है लेकिन विद्यालयी शिक्षा में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। भारत सरकार के आँकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 2011 में 74.04 है जो निर्धारित लक्ष्य 84 प्रतिशत से कम थी। जिसका प्रमुख कारण जागरूकता की कमी और विद्यालयों की अच्छी स्थिति नहीं होना था। प्राथमिक शिक्षा के पहले आँगनबाड़ी में बच्चों को भाषा समझने के लिए, खेल के माध्यम से अंकों की समझ को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन क्रियान्वयन के दोष के कारण आँगनबाड़ी कर्मचारी सप्ताह में एक या दो दिन ही बच्चों को बुलाते थे जिससे बच्चें प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे। प्राथमिक विद्यालयों में भी स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ना तय था लेकिन सरकार के पास विद्यालय और शिक्षकों की कमी के कारण वांछनीय सुधार नहीं हो पायें साथ ही साथ विद्यालय में बच्चों के कम नामांकन के साथ अपव्यय और अवरोधन भी बढ़ता जा रहा था।

भारत सरकार विद्यालयी शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भारत सरकार विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रयास कर रही थी लेकिन सरकार अपने प्रयास से संतुष्ट नहीं थी। नीति आयोग ने सरकार को सुझाव दिया कि इन

योजनाओं के लिए अलग–अलग नियम और बजट का प्रावधान है जिससे पर्यवेक्षकों को कार्य करने में दिक्कत हो रही है इसलिए इन योजनाओं को एक करके विद्यालयी शिक्षा को सुधारा जा सकता है साथ ही साथ विद्यालयी शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना लायी जाये जिसमे प्री–नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा का प्रावधान हो और इसका नाम समग्र शिक्षा योजना रखा जाये जिसमे एक तरह का नियम हो एक तरह का बजट हो जिससे कि पर्यवेक्षकों को कार्य करने में असुविधा न हो। समग्र शिक्षा योजना में प्रत्येक बच्चे की पहुँच विद्यालय तक हो तथा विद्यालय में बच्चों के साथ निष्पक्षता हो, साथ ही साथ लैंगिक असमानता को दूर किया जाये जिसमें लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। शिक्षकों को समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाये जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे एवं बच्चों के माता–पिता, संरक्षक और अभिभावकों को जागरूक किया जाए जिससे कि वांछित सफलता मिल सकेगी।

समग्र शिक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य :

1. छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उनके सीखने के परिमाण को बढ़ाना।
2. विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को दूर करना।
3. विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर निष्पक्षता और समावेश सुनिश्चित् करना।
4. विद्यालयी प्रावधानों में निर्धारित न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित् करना।
5. बेहतर समझ के लिए व्यावहारिक विषयों वाली शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना।

समग्र शिक्षा योजना एवं वर्तमान विद्यालयी व्यवस्था :

समग्र शिक्षा योजना में विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था 3+5+3+4 के रूप में रखा गया है। इस विद्यालयी व्यवस्था को सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। जिसमें 12 साल की विद्यालयी शिक्षा तथा 3 साल की प्री–विद्यालयी शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए समग्र शिक्षा योजना में चार चरण रखें हैं जो निम्न प्रकार से हैं:

1. विद्यालयी शिक्षा की नींव: विद्यालयी शिक्षा प्रारम्भ होने से पहले 3 साल की प्री–प्राथमिक शिक्षा शामिल होगी इसके अंतर्गत बच्चों का भाषा के माध्यम से विकास किया जायेगा।
2. विद्यालयी शिक्षा का आरम्भिक चरण: कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को भाषा और खेलो के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा को सुनिश्चित करना।
3. विद्यालयी शिक्षा का मध्य चरण: कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित का संख्यात्मक ज्ञान दिया जायेगा।
4. विद्यालयी शिक्षा का द्वितीय चरण: कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप प्रशिक्षण के साथ–साथ बच्चें कोई भी विषय चुन सकते है।

समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित किये गये प्रमुख घटक :

1. समग्र
2. समानता
3. जेंडर की चिंता (लड़कियों के सन्दर्भ में)
4. केंद्र के रूप में शिक्षक
5. नैतिकता की अनिवार्यता
6. शैक्षिक प्रबन्धन
7. एकीकृत प्रणाली
8. पूर्व विद्यालयी शिक्षा
9. समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना
10. पढ़े भारत, बढ़े भारत
11. आत्मरक्षा प्रशिक्षण
12. खेलो इंडिया खिले इंडिया

समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य समग्र शिक्षा योजना के विभिन्न घटकों के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है :

शिक्षा का समग्र दृष्टिकोण :

1. प्री–नर्सरी से कक्षा 12 तक समग्र शिक्षा को विद्यालय शिक्षा में स्थापित किया गया।

2. पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए राज्यों का समर्थन किया गया।

3. विद्यालय शिक्षा के लिए पहली बार उच्च माध्यमिक स्तर और प्री–नर्सरी को एक साथ शामिल किया गया है।

प्रशासनिक सुधार :

1. प्रशासनिक संरचना को एकल एवं एकीकृत करके समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन किया गया है।

2. राज्यों के हस्तक्षेप को प्राथमिकता देकर योजना को लचीला बनाया गया है।

3. एकीकृत प्रशासन के माध्यम से विद्यालयों का निरन्तर मूल्यांकन किया जायेगा।

विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण

1. विद्यालयी शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिए एकीकरण योजना बनाई गयी है।

2. कक्षा 1 से 8 तक के सभी वर्गों के बच्चों को विद्यालय की सार्वभौमिक पहुँच के लिए परिवहन की सुविधा प्रदान की जायेगी।

3. स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाये जाने का विशिष्ट प्रावधान किया गया है।

शिक्षा के लिए वित्त पोषण बढ़ावा :

1. विद्यालयी शिक्षा के वित्तीय व्यवस्था को बढ़ाया गया है।

2. विद्यालय में बच्चों के गुणवत्तापूर्ण सुधार के आधार पर अनुदान का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित :

1. शिक्षकों को ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

2. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिशद् को नोडल संस्थान के रूप में रखा गया है जहाँ पर सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है।

डिजिटल शिक्षा पर ध्यान :

1. नर्सरी एवं प्राथमिक विद्यालयों को तकनीकी रूप से सुढ़ करने की व्यवस्था किया गया गया है।

2. माध्यमिक विद्यालयों में 'ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड' एवं 'डीटीएच चैनलों' के माध्यम से आधुनिक तरीके के कक्षा–कक्ष की व्यवस्था की गयी है जिससे विद्यालयों में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके।

लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान :

1. शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त करके आत्म निर्भर बनाया जायेगा।

2. कस्तूरबा गाँधी बालिका माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया गया।

3. प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को अपनी रक्षा के लिए 'आत्मरक्षा प्रशिक्षण' दिया जायेगा।

4. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान को बढ़ावा देना।

समावेशन पर ध्यान :

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत् बच्चों के सर्वांगींण विकास के लिए वित्त की अलग से व्यवस्था किया गया है ।

2. कक्षा 1 से 12 तक के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था किया गया है ।

कौशल विकास पर ध्यान :

1. प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कौशल युक्त व्यावसायिक शिक्षा दिया जायेगा।

2. माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम के रूप में जोड़ा गया है।

3. व्यावसायिक शिक्षा को उद्योग आधारित एवं व्यावहारिक बनाया गया है।

खेल और शारीरिक शिक्षा पर ध्यान :

1. प्री–नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यालयों में खेल उपकरण दिए जायेगें।

2. प्री–नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यालयों

में पाठ्यक्रम के रूप में खेल शिक्षा को रखा गया है।

3. माध्यमिक विद्यालयों में 'खेलो इण्डिया' के लक्ष्य को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को जागरूक किया जायेगा।

क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान :

1. नीति आयोग द्वारा समग्र शिक्षा योजना में पिछड़े ब्लॉकों और सीमावर्ती जिलों को निर्धारित कर शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

2. शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 'सबका साथ सबका विकास' एवं सबको अच्छी शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ :

1. समग्र शिक्षा योजना लागू होने के बाद प्राथमिक विद्यालयों के विलय के बाद यह देखा गया है कि सुव्यवस्थीकरण के नाम पर 4,000 विद्यालयों को बंद कर दिया गया है जिससे बालिकाओं के ड्राप आउट रेट (स्कूल छोड़ने की दर) की वृद्धि हुई है।

2. विद्यालयों के विलय के उपरांत छात्रों के लिए घर और विद्यालय के बीच आने–जाने एवं परिवहन की सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है यह भी इसके क्रियान्वयन के रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती है।

3. यह सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में 5 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता की बात कही है जबकि विद्यालयों का एकीकरण किया जा रहा है अब विद्यालय विद्यार्थियों की पहुँच से दूर हो जाएगें जो कि एक बड़ी चुनौती है।

4. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएँ जैसे डिजिटल बोर्ड, कम्प्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था करने की बात कही गयी है जबकि अधिकांश विद्यालयों में साफ पानी, बिजली की व्यवस्था ही नहीं है, जो कि एक बड़ी चुनौती है।

5. विद्यालयों में शिक्षा के साथ कौशल आधारित व्यावसायी शिक्षा देने की योजना है जबकि सरकार के पास बहुत ही कम मात्रा में कौशल आधारित विद्यालय है।

6. बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने से अलग–अलग राज्यों में कई समस्याएं आ सकती है उदाहरणत: दिल्ली में कई राज्यों के लोग रहते है जब इन के बच्चें विद्यालय में जायेगें तो अलग–अलग भाषा के होगें तो उनका माध्यम क्या होगा? इस पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है।

निष्कर्ष : शिक्षा समाज में सभी व्यक्तियों में समानता की भावना लाती है और देश के विकास एवं वृद्धि को भी बढ़ावा देती है। समग्र शिक्षा योजना एक एकीत विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था है जिसमे सभी बच्चों को ध्यान में रखकर विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था किया गया है जहाँ विद्यालयों में पहुँच, समानता, समता, गुणवत्तापूर्ण और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। समग्र शिक्षा योजना में प्रत्येक बच्चें की नींव को मजबूत करने के लिए प्री–नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रत्येक कक्षा में पाठ्क्रम को जीवन से जोड़ते हुए गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था किया है जिसमें लड़कियों और लड़कों के बीच विषमता पूरी तरह समाप्त हो जाये और विकलांग बच्चों, निर्धन बच्चों को शिक्षा और व्यांवसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुँच सुनिश्चित किया जा सके जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगींण विकास हो सकें।

शोध छात्र
शैक्षिक अध्ययन विभाग
महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
पूर्वी चंपारण, बिहार
मोबा. 9452601052

संदर्भः—

1. सिंह, कुमार अरुण. (2014). मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ. मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन, दिल्ली.

2. गुप्ता, एस.पी. (2015). भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें. शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

3. तोमर, जी. एस. (2016). शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन. आर.लाल. बुक डिपो, मेरठ.

4. नयी शिक्षा नीति, (2016). रिपोर्ट ऑफ द कमेटी फार इवैल्युशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

5. भारत सरकार. (1986). राष्ट्रीय शिक्षा नीति. *https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf*

6. भारत सरकार. (2002). सर्व शिक्षा अभियान उद्वरित. *http://www.ssa.nic.in/*

7. भारत सरकार. (2009). स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग उद्वरित. *https://dsel.education.gov.in/rte*

8. भारत सरकार. (2009). भारत सरकार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उद्वरित. *https://mospi.gov.in/hi/web/mospi/sustainable-development-goals-sdg*

9. भारत सरकार. (2009). राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उद्वरित. *https://www.india.gov.in/*

10. भारत सरकार. (2011). भारत का राष्ट्रीय पोर्टल उद्वरित. *https://www.india.gov.in/hi/my-government/documents/census-report*

11. भारत सरकार. (2017). समग्र शिक्षा योजना उद्वरित. *https://www.samagra-shiksha-abhiyan-portal-mhrd/*

प्रवासी हिन्दी कहानी : संवेदना और शिल्प

– डॉ. रत्ना शर्मा

आधुनिक भारतीय समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भारत से उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग या समाज के उच्चमध्य वर्ग या उच्च वर्ग के सदस्य विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या नौकरी की तलाश में जाते हैं। पंजाब ,जम्मू कश्मीर अब तो भारत के किसी भी कोने से मजदूरों ,तकनीकी ,अर्द्ध तकनीकी कर्मचारियों के रूप में बहुत से लोग दुबई, बहरीन आदि खाड़ी देश में गये हैं। लेकिन साहित्य में विदेश जाने वाले वर्ग से सम्बन्ध उन लोगों से है जो इंग्लैण्ड, कनाडा, अमेरिका जैसे स्थानों पर गये हैं और वहीं बस गए। विषय और शिल्प की दृष्टि से साहित्य को लेकर भारत एवं विदेश में कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है। भौगोलिक दूरियाँ आज के युग में इतनी नियामक नहीं रह गयी है। यदि हम प्रवासी साहित्य में कहानी विधा पर विचार करते हैं तो एक बात मुख्य रूप से उभर कर सामने आती है कि कहानी अपने युग की संवेदना से साक्षात्कार करते हुए उसके यथार्थ को प्रतिष्ठित करती है।

निर्मल वर्मा ,उषा प्रियम्वदा ,कृष्ण बल वैद्य, सोमावीरा, उषा राजे, सुषमा वेदी, तेजेन्द्र शर्मा, सुनीता जैन, डॉ. अनिल प्रभा कुमार आदि कथाकारों ने विदेश प्रवास से सम्बंधित अनुभवों पर सशक्त कहानियां लिखी हैं। कथा बिम्ब, कथादेश, सारिका, हंस आदि अनेक पत्रिकाओं में प्रवासी हिंदी कथा साहित्य प्रकाशित होता रहता है।

साहित्य में संवेदना का अर्थ कोरी एंद्रिय चेतना से बिलकुल अलग है। साहित्य के सम्बन्ध में हम जिस संवेदना की बात करते हैं, वह जैविक नहीं मानवीय होती है। उसका सम्बन्ध समस्त मानवीय ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति एवं जीवन दृष्टि से होता है।

वर्तमान समय में कथ्य और शिल्प के धरातल पर हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्राप्त हुई है। प्रवासी हिंदी कहानियां भी हमारे सामाजिक जीवन परिवेश के महत्त्वपूर्ण पक्ष को उद्‌घाटित करती है।

प्रवासी कहानियों का अध्ययन करने पर एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि इन कथाकारों ने प्रवासी जीवन की विसंगतियों, समस्याओं एवं दवाबों को बहुत गहराई से महसूस किया है। कथ्य और शिल्प के धरातल पर उनकी संवेद्यता (संसिबिलिटी) को एक नई दिशा मिली है। जीवनयापन पद्धति ,सोच संस्कार एवं

समस्याएँ इन कहानियों के केंद्र बिंदु हैं। ये कहानियां अपने बहुआयामी सन्दर्भों और आयामों में आज एक ललित विधा नहीं है बल्कि एक गंभीर बौद्धिक विमर्श की विधा है। यह गंभीर बौद्धिक विमर्श इसलिए संभव और आवश्यक हो गया है कि भूमंडलीकरण के तहत ग्लोबल विलेज की परिकल्पना ने उपनिवेशवाद और उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म दिया। हम अप संस्कृति के हमले से इतना घबरा गए हैं कि आज मूल्यों की रक्षा और बचाव के लिए प्रयत्न और शब्द तलाशने लगे हैं।

डॉ. अनिल प्रभा कुमार की कहानी 'दीवार के पार' समलैंगिकता की समस्या को आधार बनाकर लिखी गयी है। आज भी भारत जैसे देश में इस बात पर चुप्पी साध ली जाती है। आए दिन अखबारों और टी.वी. चैनलों में समलैंगिक रिलेशन को स्वीकार या अस्वीकार की स्थिति में पाते हैं। वर्तमान समय में ये एक समस्या या सामाजिक संकट है जो हमें कहीं न कहीं कुछ सोचने के लिए विवश करता है। इस कहानी का पिता पीटर अपने बेटे के कारण बेटे की माँ मेरी से जुडा हुआ है जो तलाक का जीवन जी रहे हैं। जब पिता को बेटा बताता है कि वह लैंगिक या होमो है पिता का रिएकशन नहीं होता वह सहज ही स्वीकार कर लेता है लेकिन माँ मेरी को ये एक अपराध बोध सा लगता है। वह जीसस से माफी मांगती है। फादर रिल्के के शब्द कानों में गूंजते हैं "समलैंगिकता पाप है, यह अप्राकृतिक है, ऐसे लोगों के लिए हमारे धर्म में कोई स्थान नहीं"[1] मेरी को लगता है कि लज्जा शर्म कैसे सिर ऊँचा कर के रहेगी समाज में ? चर्च निकाल देगा उसको, उसका धर्म छिन जायेगा उससे तो बाकी क्या बचेगा ?

आज ऐसे विषय पर लेखिका ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। जो अखबारों और टेलीविजन के लिए एक नया मसाला और सुर्खियां बन जाता है। निजता का उल्लंघन, समलैंगिकों के प्रति घृणा पूर्ण अपराध, पक्षपात पूर्ण धमकाना, कानून का पता नहीं किन–किन श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ, समलैंगिक अधिकारों की पैरवी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग आदि आदि।

वर्तमान में कहानीकारों की दृष्टि भारतीय एवं पश्चिमी सामाजिक संरचना में आए एक बड़े भारी बदलाव की ओर गहरी चिंता पर गयी है–वह है परिवार की वृद्धावस्था की समस्या। देश के प्रत्येक अंचल के कथाकार इस विषय पर कहानियां लिख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वैश्विक स्तर पर वृद्धावस्था की समस्या एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। बेहतर जीवन स्थितियों ने मनुष्य की आयु तो बढाई है, किन्तु उसके साथ एकाकीपन का दंश बढ़ा है। जो उनकी असहायता और निरुपायता का बोध कराता है। तेजेंद्र शर्मा की कहानी 'खिड़की' इस समस्या को बखूबी उजागर करती है। आज संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने समाज में अपनी जगह बना ली है। आधुनिकता के संचरण से हमारे जीवन में बड़ी तेजी से परिवर्तन आया है। 'खिड़की' कहानी का नायक पिछले दो वर्षों से अकेला रह रहा है। उसकी दिनचर्या हमेशा एक सी ही रहती है। सुबह की शिफ्ट हो या दोपहर की पूरा हफ्ता एक सा ही बीतता है। वह रेलवे में काम करता है यतियों की सेवा करना उनका धर्म है। करीब 15 वर्षों से वह यही तो कर रहा है। उम्र बढ़ने के साथ उसकी मुस्कान में कमी नहीं आई है। एक स्थान पर कहानीकार का कथ्य अत्यधिक संवेदना पूर्ण हो जाता है। नायक विदेश में रहते हुए भी स्वयं को भारतीय मानता है वह सोचता है कि हम भारतीयों के घर में भी ये समस्या है। वह अपनी बात रखता है "सब की समस्या एक सी क्यों है ? यह अकेलापन किसी मजहब, किसी जात, किसी समुदाय का मोहताज नहीं होता। बस किसी को भी शिकंजे में जकड लेता है।"[2]

उसकी खिड़की पर आने वाले पूछताछ करने वाले

कुछ यात्री ऐसे हैं जो रोज ही घिसा–पिटा सवाल करते हैं। शुरू–शुरू में तो बड़ी हैरानी होती थी। उसके साथी कर्मचारी ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते थे किन्तु उसे उनकी आँखों में एक विचित्र सा सूनेपन का भाव महसूस होता था। जिस दर्द को वह अपने भीतर छिपाए हुए था, वही दर्द खिड़की की दूसरी और उसे झिंझोड़ता दिखाई देता ऐसा क्या है जो उसे उनके दर्द को अपना दुःख बना रहा है? उसने तय कर लिया था वह सभी का अच्छे से जवाब देगा उन्हें यही महसूस करवाएगा कि उनकी बात को गंभीरता से सुन रहा है।

'खिड़की' कहानी का नायक इस बात से परेशान है कि विदेशों में तो अपसंस्कृति का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है भारत भी इस अकेलेपन के सफर में शामिल है। फिर अपने भीतर झांकता एक अकेलेपन की लम्बी डगर.......। उसने खिड़की को ही अपना एक घर बना लिया है। अब उसके रिश्तों में आठ नाम हैं। 'खिड़की के दोस्त –पांच अंग्रेज, दो भारतीय और फिर एक अश्वेत। सबरीना, जान, अबाना, पटेल आदि आदि। ये सब मिलकर उसका साठवां बर्थडे मैकडोनाल्ड में मनाएंगे।"[3]

डॉ. पुष्पा सक्सेना की कहानी 'मानसी इन वंडर लैंड' भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान विदेशों से कराती है। मानसी जैसी लड़की अपने मानवीय गुणों से संपन्न होने के कारण अनेकों युवाओं के लिए एक आदर्श उदाहरण साबित होती है। वहीं जेम्स के रूप में एक ऐसे युवा की भूमिका लेखिका ने प्रस्तुत की है जो मेधावी होते हुए भी भारत की खिल्ली उडाता है। जेम्स हँसता है कि "इण्डिया में लोग ब्लैक मैजिक जानते हैं। अपने मेजिक से वो आदमी को बन्दर बना देते हैं। हिन्दुस्तानी क्या साँप और बंदरों का देश है ? वहीं मानसी उत्तर देती है कि 'आप तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, इन्टरनेट पर इण्डिया के बारे में पढ़ लीजिए आप जान जायेंगें हिन्दुस्तान कैसा देश है ? वैसे तो डार्विन की थ्योरी के अनुसार हम सभी के पूर्वज बंदर ही थे।"[4] यहाँ स्पष्ट होता है कि मानसी जितनी विदुषी है उतने ही बेबाक ढंग से अपनी बात कहती है।

जेम्स जो हर समय मानसी की सादगी और गरीबी की हँसी उडाता था वही मानसी जेम्स का एक्सीडेंट होने पर अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाती है। उसका हाल–चाल पूछने हास्पिटल रोज आती है। यहाँ तक की उसके माता पिता मानसी को मदर मेरी की संज्ञा देते हैं। जेम्स का हृदय परिवर्तन होता है मानसी जैसी आदर्श संस्कारों वाली लड़की को सभी के बीच में स्वीकार करता है। "बुराई के बदले भलाई करना कितना महान कार्य होता है....अच्छा हुआ मेरी आँखों से झूठ का पर्दा हट गया। वादा करता हूँ अब अच्छाई की राह पर चलने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है तुम सब भी मेरा साथ दोगे..."[5] मानसी इन वंडर लैंड' जैसी कहानी भारतीय दृष्टि और आदर्शों को पश्चिमी आदर्शों के समक्ष रख कर देखी जाए तो भारतीय नारी अपनी समस्त शिक्षा, नएपन और विदेशी प्रवास के बावजूद अपनी सभ्यता और संस्कृति और मानवीय गुणों के समक्ष सबको नतमस्तक कर देती है।

आज की कहानियों की भाषा का एक बिलकुल नया और समृद्ध रूप दिखाई देता है। प्रवासी हिंदी कहानियों में भी वैसी समृद्धता दिखाती हैं। इन कहानियों की भाषा ने जीवन के अधिक निकट लाकर उसकी सहजता और स्वाभाविकता की संप्रेषण क्षमता को एक नए रूप में विकसित किया है। कहानी का कथ्य मन की परतों को स्पर्श करता हुआ पाठकों के समक्ष बडी सूक्ष्मता के साथ स्पष्ट होता है। यह भाषा के कारण ही सम्भव हो पाता है। आज भाषा की सहजता और जीवन की निकटता के लिए बोलचाल के शब्दों का ही मात्र प्रयोग नहीं हो रहा बल्कि अर्थसंगत सुंदर शब्दों के प्रयोग से भाषा को सहज सौंदर्य भी प्राप्त होता है।

जब दीवार के पार, खिड़की, मानसी इन वंडर लैंड

कहानी का अवलोकन किया गया तो यह पक्ष बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया कि इन कहानियों की संवेदना प्रेषित करने में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। कथ्य के अनुसार भाषा अभिव्यक्ति पाती चली जाती है। 'दीवार के पार' कहानी में माँ और बेटे के बीच रिश्तों की दूरी को व्यक्त करनेमें लेखिका की भाषा है –"मेरी फोन करती, बेटे का हाल चाल पूछती। औपचारिकता की बर्फ में ठिठुरी बातें।"[6] रिश्तों के ठंडेपन और दूरियों को व्यक्त करने में भाषा पूरी तरह से सक्षम है –"फिर संवाद खो जाता है। दोनों जने फोन पर कान लगाये रखते, चुप्पी–चुप्पी से बात करती। जो बात दोनों के बीच में अदृश्य दीवार बन के खड़ी हो गयी थी वही बात यह चुप्पी बहुत तीव्रता से बोल देती।"[7]

इन उदाहरणों में भाषा संवेदनशीलता और ठेठ यथार्थ को बहुत गहराई से प्रस्तुत करती है। तेजेंद्र शर्मा की कहानी खिड़की वृद्धावस्था के अकेलेपन की पीड़ा का यथार्थ सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत करती है "बस परिवार के बारे में सोचते ही उसके विचारों में दर्द का अहसास शामिल हो जाता है। न जाने उससे कहाँ गलती हो गयी कि सब रिश्ते जीवित होते हुए भी वह अपना परिवार खोज रहा है।"[8] वह खिड़की पर बैठा अनगिनत अपने जैसे लोगों को देखता है। जब वह किसी के बारे में सोचता है तो कहानीकार की भाषा देखिए–"कैसी सत्तर साल की है छरहरी है प्रतिदिन एक्सरसाईज करती है साफ सुथरी है, मगर आँखों में खालीपन के अतिरिक्त कुछ नहीं।"[9] इस उदाहरण में भाषा जीवन की रिक्तता का पूरा चित्र प्रस्तुत कर रही है।

प्रवासी हिंदी कहानियों में विशेषण, क्रियापद आदि के नए–नए और सार्थक प्रयोग देखे जा सकते हैं। जैसे–कुछ कतरे पीड़ा के चुहचुहाए।[10] 'चुहचुहाए' क्रिया का नया किन्तु सार्थक प्रयोग।

वह ढहे हुए घर की सपाट भुरभुरी जमीन को देख रही है बस।[11] इस उदाहरण में घर की सपाट भुरभुरी जमीन विशेषण का प्रयोग भाषा का सोंदर्य और शक्ति को बढ़ा रही है साथ ही संवेदनशीलता को भी ग्राह्य बना रही है।

नए–नए विशेषणों की रचना विशेषणों के विपर्ययात्मक प्रयोग नई क्रियाएं और क्रिया विशेषणों आदि के प्रयोग से भी प्रवासी कहानीकारों ने अपनी भाषा को सौंदर्यपूर्ण और सशक्त बनाने में सफलता प्राप्त की है। इन सभी कथाकारों ने परम्परागत अभिव्यक्तियों को तोड़कर अपनी नई भाषा गढ़ी है। प्रतीकात्मक भाषा के प्रयोग ने अर्थ संवेदना को विस्तार दिया है। जैसे–"वह दिमाग के डिब्बे में बंद हजारों प्रश्नों के ढेर में से इस एक प्रश्न का उत्तर ढूढती है।"[12] अंततः कहना न होगा प्रवासी हिंदी कहानी संवेदना के धरातल पर जहाँ कथ्य को विस्तार देती है वही उसका शिल्प आकर्षक और समृद्ध है। ये कहानियां पाठकों को भी एक नई ताजगी का अहसास देती है।

असोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग
गुरु नानक खालसा कॉलेज, मुंबई–400019
मोबा. 7045705425

संदर्भः–

1. दीवार के पार–डॉ. अनिल प्रभा कुमार ,कथा बिम्ब अंक जन–जून 201, पृष्ठ 17
2. खिड़की–तेजेंद्र शर्मा ,कथा बिम्ब अंक जन–जून 2014 पृष्ठ 111
3. खिड़की–तेजेंद्र शर्मा ,कथा बिम्ब अंक जन –जून 2014 पृष्ठ 112
4. मानसी इन वंडर लैंड ,डॉ पुष्पा सक्सेना ,कथा बिम्ब अंक जन–जून 2014, पृष्ठ 72.73
5. मानसी इन वंडर लैंड ,डॉ. पुष्पा सक्सेना ,कथा बिम्ब अंक जन– जून 2014, पृष्ठ 76
6. मानसी इन वंडर लैंड ,डॉ पुष्पा सक्सेना, कथा बिम्ब अंक जन–जून 2014, पृष्ठ 77
7. मानसी इन वंडर लैंड, डॉ .पुष्पा सक्सेना ,कथा बिम्ब अंक जन–जून 2014, पृष्ठ 17
8. खिड़की–तेजेंद्र शर्मा ,कथा बिम्ब अंक जन–जून 2014 पृष्ठ 110
9. खिड़की–तेजेंद्र शर्मा ,कथा बिम्ब अंक जन–जून 2014 पृष्ठ 112
10. दीवार के पार–डॉ. अनिल प्रभा कुमार, कथा बिम्ब अंक जन–जून 2014 पृष्ठ 15
11. दीवार के पार–डॉ. अनिल प्रभा कुमार ,कथा बिम्ब अंक जन–जून 2014, पृष्ठ 17
12. दीवार के पार –डा.अनिल प्रभा कुमार ,कथा बिम्ब अंक जन–जून 2014, पृष्ठ 17

भारत में जनजातिय समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति

– रफ़त फ़ातिमा

शोध सारांश

किसी भी समाज की उन्नति एवं विकास के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यकहै। शिक्षा के अभाव में हम एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। जिसमें अनेक विविधताएं हैं। आदिकाल से ही यह विभिन्न धर्मों, मतों, सम्प्रदायों, संस्कृतियों, प्रजातियों, जनजातियों की कर्म भूमि रही है। अधिकतर जनजातियाँ ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती है जहां अभी भी सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में उन वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए है। सरल अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज तथा सामान्य देवी–देवता होते है। ये सामान्य रूप से प्रकृति पूजक होते हैं। भारतीय संविधान में जहां उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है तो दूसरी ओर उन्हें अन्य कई नामों से भी जाना जाता है जैसे– आदिवासी, आदिम जाति, वनवासी, प्रागैतिहासिक इत्यादि।

बीज शब्द –ः भारत, जनजातीय समुदाय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति।

प्रस्तावना

जनजाति या आदिवासी का मूल अर्थ है– निवासी। डी.एन. मजूमदार ने 'जनजाति को परिवार का संकलन कहा है जिसका अपना एक सामान्य नाम होता है जिसके सदस्य एक निश्चित भू–भाग पर रहते है, सामान्य भाषा बोलते हैं, विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं तथा एक सुनियोजित आदान–प्रदान के व्यवसाय का विकास करते है।' इस प्रकार आदिवासी कहने से एक ऐसे परिवार का बोध होता है, जिसकी अपनी भाषा, संस्कृति, एक सुनिश्चित भू–भाग होता है, जिसमें वे परम्परागत विधि–विधानों से परिपूर्ण स्वतंत्र सुरक्षात्मक संगठन के जरिये अपने समाज का संचालन करने में समर्थ होते हैं। आदिवासी जनजातियाँ भारत के लगभग सभी भागों में पायी जाती है। उत्तर में हिमालय की ऊँची चोटियां, भारत के मध्य में सतपुड़ा और विन्धयाचल के हरे–भरे पर्वत, पश्चिम भारत में अरावली की पहाड़ियों और पूर्व के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में आदिवासी जनजातियाँ रहती है। मूलतः आदिवासी शहरी सभ्यता एवं शहरीपन से दूर है। उनकी अपनी अलग संस्कृति है, अलग तरह की सभ्यता है उनका जीवन रीति–रिवाज और परम्परा अलग तरह की है। उनके जीवन में गीत और नृत्य को बहुत महत्व दिया जाता है।कठिनाइयाँ भरे अपने अभावपूर्ण जीवन को ये गीतों और नृत्यों के द्वारा सुखमय और मनोरंजन पूर्ण बना लेते है। जनजातीय महिलाएँ आदिवासी समाज के अलग– अलग जनजातियों में स्त्रियों की स्थिति, कार्य और महत्व अलग–अलग है। कहीं स्त्रियों को बहुत आर्थिक अधिकार प्राप्त है और कही वह समाज और परिवार की सामाजिक संरचना और संस्कृति का निर्माण प्रकृति के सम्पर्क में स्वतंत्र रूप से विकसित करती है। अतः सामान्य रुप में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष स्थिति प्राप्त है। आदिवासी समाज में लिंग भेद नहीं माना जाता है। पुत्र के समान पुत्रियों को भी समाज में समान रुप से आदर, महत्व और अधिकार प्राप्त है। यही कारण है कि आदिवासी समाज स्त्री–पुरुष संख्या के अनुपात में अधिक अन्तर नहीं है। एन.सी. चौधरी का मत है कि 'जनजातीय समाज में स्त्रियों को एक आर्थिक सम्पदा के रुप में माना जाता है तथा कर्तव्य परायण पत्नी को पर्याप्त महत्ता एवम् सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। स्त्री–पुरुषों के बीच श्रम विभाजन स्पष्ट रुप से दिखाई देता है। स्त्रियाँ घरेलू कार्य एवम् बच्चों का लालन–पालन के अतिरिक्त, कृषि संबंधी कार्य एवम् पशु आहार और ईंधन संग्रह के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसके साथ यह भी देखा जाता है कि पुरुषों से अधिक

काम करके भी स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष उन्हें पीछे दोयम स्थान पर मानी जाती है।

सामाजिक स्थिति—पहाड़ों, जंगलों एवम् सुदूरवर्ती इलाके में जीवन यापन करने के कारण ये कई समस्याओं से जूझते रहते हैं। सामाजिक संपर्क स्थापित करने में अपने आप को सहज नहीं पाती है, इस कारण ये सामाजिक सांस्कृतिक अलगाव, भूमि अलगाव, अस्पृश्यता की भावना महसूस करती है। ये वर्ग अभी भी जंगलों एवं ऊँचे—ऊँचे पहाड़ों पर रहने के कारण कुछ क्षेत्रों में अभी भी निरक्षर है जिसके कारण ये आम बोलचाल की भाषा को समझ नहीं पाते हैं जो इनके पिछड़ेपन का मूल कारण है। गरीबी के कारण ये दूसरे के घरों में काम कर अपना जीवनयापन करते है। आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा—लिखा नहीं पाते है तथा पैसे के लिए अपने बच्चे को व्यवसायियों या दलालों के हाथ बेच देते हैं, गरीबी के कारण ये मानव तस्करी के शिकार हो जाते है।

आर्थिक स्थिति—आदिवासी समाज को अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे—घर, पानी, यातायात, शिक्षा और स्वास्थ आदि। आज भी इस समाज में लोग दूसरों के घरों में काम कर अपना जीवनयापन कर रहे है। माँ—बाप आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा—लिखा नहीं पाते है। इसी कारण आदिवासी समाज में शिक्षा का बहुत अभाव है। संविधान द्वारा अनेक अधिकार मिलने के बाद भी इन्हें अपने अधिकार का ज्ञान नहीं है। कानून के दांव—पेंच न जानने के कारण इनकी जमीन हड़प ली जाती है। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि आंध्रप्रदेश, छतीसगढ़, उडीसा और झारखण्ड में जो लोग विस्थापित हुए है उनमें से 79 प्रतिशत आदिवासी थे। इनकी बहुत सारी जमीन बांचों के जलाशयों में खूब चुकी है। इसके अलावा भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क और 543 वन्य जीव अभयारण्य है। ये ऐसे इलाके है जहाँ मूल रुप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया है।

शैक्षिक स्थिति—किसी भी वर्ग की उन्नति एवं विकास में शिक्षा एक बहुत बड़ा कारक होता है। बिना समुचित शिक्षा के अभाव में कोई भी वर्ग तरक्की नहीं कर सकता है। जनजातीय वर्ग के समुदाय पहाड़ों जंगलों, दूर दराज क्षेत्र में रहने के कारण ये समुचित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अतः इन वर्गों को बिना शिक्षित कराये राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलाये बगैर देश के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती हैं। बिना शिक्षा के ये अपने अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सरकार इनके शैक्षणिक उत्थान विशेष रुप से एकलव्य विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के नामांकन में आरक्षण एवम् छात्रवृति का प्रावधान कर दिया गया है जो इनके जीवन के खुशहाल बनाने में एवंम् राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलने में सहायक है।

निष्कर्ष —

आज आदिवासी समाज शिक्षा के मामले मे ंकई तरह की परेशानियो ंसे एक साथ जूझ रहाहै। सरकारी विद्यालयों में मातृभाषा में शिक्षा का अभाव, योग्य शिक्षकों का अभाव, पाठ्यक्रम का आदिवासी जीवन — शैली से मेल न खाना आदि समस्याएँ तो हैं ही, साथ ही आदिवासियों के परम्परागत शिक्षा केन्द्रों का ह्रास, भूमंडलीकरण एवं बाहरी दुनिया का भारी हस्तक्षेप, विभिन्न धर्मों का आदिवासी जीवन — शैली में हस्तक्षेप आदि के कारण भी आदिवासियों की शिक्षा — प्राप्ति के मार्ग में बड़ी बाधाएँ उपस्थित हुई हैं। आज आदिवासियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे वे अपने जीवन को आधुनिककाल की चुनौतियों से डटकर मुकाबला कर सकें। जहां आदिवासी समुदाय रहता है ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाएं और उनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अशिक्षा की समस्या एक ऐसा प्रश्न है जिसकी जड़ काफी गहरी है। हमें उन कारणों को समझना होगा जिनकी वजह से बच्चों को अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम करना पड़ रहा है। इस व्यवस्था में परिवर्तन लाने का निरंतर प्रयत्न होना चाहिये तभी हम सही अर्थों में

शोध छात्रा
ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ
मोबाइल 918542863148

संदर्भः–

1. उपाध्याय विजय संकट, वर्मा विजय प्रकाश मारत की जनजातीय संस्कृति– मध्यप्रदेश हिन्दी मंच अकादमी, पंचम संस्करण –1998
2. डॉ. विजय कुमार, नामदेव दलित शेतना और स्त्री विमर्श– लासिकल परितसिंग कम्पनी नई दिल्ली, 2005
3. संतोष भारतीय : दलित, अल्पसंख्यक समाजीकरण, राजकमल प्रकाशन, 2004
4. जोशी, रामशरण, आदिवासी समाज और शिक्षा, ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन, दिल्ली 1996
5. रानी, आशु, महिला विकास कार्यक्रम, इना श्रीपब्लिशर्स, जयपुर 1997
6. शर्मा, ब्रम्हदेव (पंचम संस्करण 1999), आदिवासी विकासएक सैद्धांतिक विवेचन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
7. पाण्डेय, रामशकल (प्रथमसंस्करण 2001), शैक्षिक निबंध, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

राष्ट्रीय चेतना और केयूर भूषण

शोध छात्र – हिमेश कुमार साहू
शोध निर्देशक – डॉ. देशबंधु तिवारी

छत्तीसगढ़ी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर श्री केयूर भूषण का अधिकांश साहित्य राष्ट्रीय चेतना से ओत–प्रोत है। कहानी, उपन्यास, निबंध, कविताएँ, जीवनी और पत्रकारिता जैसी अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया है। उनकी रचनाओं में किसानों, गरीबों, दलितों और नारी जीवन के प्रति सुधार की भावना निहित है तो वही भ्रष्टाचारियों, पूंजीपतियों और सामंतवादियों के द्वारा किये जा रहे अत्याचार के प्रति आक्रोश भी है। केयूर भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति यथार्थ के धरातल पर हुई है। उनके उपन्यासों, कहानियों और निबंधों में अपने समय में हो रहे शोषण, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अस्पृश्यता और धार्मिक, सामाजिक विद्रुपताओं का खुलकर विरोध किया गया है। केयूर भूषण की रचनाओं का उद्देश्य तत्कालिन परिस्थितियों को दर्शाना और लोगों में जन चेतना जागृत करना है, न की पाठकों पर थोंपना। उनकी रचनाएँ समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को तथ्यात्मक रूप में प्रदर्शित करती है जो देश की नयी परिस्थितियों से उत्पन्न बदलती हुई सकारात्मक जीवन शैली की ओर प्रेरित करती है। केयूर भूषण एक समाजवादी लेखक है इसलिए समाज में व्याप्त वर्गभेद, शोषण, अनाचार, भ्रष्टाचार और नारी की दयनीय दशा को यथार्थ रूप में प्रकट करते है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था और उनके कारण बने वर्गभेद और पूंजीपतियों के शोषण चक्र का इन्होंने व्यापक चित्रण भी किया है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति के साथ–साथ इन समस्याओं से मुक्त होने के दिशा निर्देश भी दिये है। वे राजनीतिज्ञ की अपेक्षा साहित्यकार अधिक थे। यही कारण है कि वे राजनीति की कुटिलता को त्याग कर गहन मानवीय संवेदना से अधिक जुड़े रहे। लोगों में चेतना जागृत करने का स्वर केयूर भूषण की रचनाओं में विद्यमान है। उनकी रचनाओं में कुल के मरजाद, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, लोकलाज, समे के बलिहारी आदि प्रमुख उपन्यास है। कालू भगत, डोंगराही रद्दा, आँसू म फिले अंचरा जैसी प्रसिद्ध कहानियाँ तथा हीरा के पीरा जैसे प्रसिद्ध निबंध है जिन्होने केयूर भूषण को छत्तीसगढ़ी साहित्य संसार में प्रथम पंक्ति में स्थान निर्धारित किया है।

केयूर भूषण के निबंध 'हीरा के पीरा' एक सामाजिक चेतनापरक निबंध है जिनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक जनजागृति लाना है। समाज में व्याप्त वर्गीय चेतना, सामाजिक विसंगतियाँ, वर्गीय घृणा, आक्रोश,

सत्तालोलुप नेताओं का स्वार्थीपन और विभिन्न सामाजिक समस्याओं का खुलासा करना तथा इन समस्याओं के प्रति जन जागरूकता लाना उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। 'नेता मन के गोठ के का भरोसा' निबंध में नेताओं के दोहरे चरित्र को उजागर कर उनकी कथनी और करनी के अंतर को व्यक्त किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात् तत्कालिन समाज में सत्तालोलुप उच्च वर्ग के नेताओं के चरित्र में पाखंडपन, स्वार्थ और संवेदनहीनता को उजागर किया गया है। केयूर भूषण ने किसानों की दयनीय दशा का चित्रण 'दियना बरै जगजोत' निबंध में किया है। किस तरह कर्ज न चुकाने की स्थिति में किसानों की जमीन छीन ली जाती थी। किसानों को उनकी ही जमीन पर अधिक कर वसूला जाता था। फसलों का सही दाम न मिल पाने के कारण किसान परिवारों में गरीबी, अशिक्षा और भुखमरी व्याप्त थी। केयूर भूषण समाज के शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग को इस शोषण चक्र से मुक्त कराना चाहते थे। 'टोनही पुराण' निबंध में नारी जीवन की विडंबना, घुटन, ऊब और शोषण का चित्रण मिलता है। तत्कालिन समाज में व्याप्त अंधविश्वास, छुआछूत, जाति–पाँति और ऊँच–नीच की भावना को केयूर भूषण समाज के लिए अहितकर मानते थे। इन समस्याओं की मुक्ति हेतु शिक्षा का प्रचार–प्रसार कर समाज में जनचेतना लाने का कार्य केयूर भूषण ने किया है। वे इस सामाजिक जड़ता को दूर करने के लिए शिक्षा को प्रमुख उपाय मानते थे। उनका कहना था कि अगर समाज में नैतिक चेतना जागृत करना है तो शिक्षा का जन–जन तक प्रसार करना होगा।

केयूर भूषण ने उपन्यासों में श्रमिकों, दलितों, मजदूरों और निम्न–मध्यमवर्गीय लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से व्यक्त किया है। उपन्यास 'कुल के मरजाद' की कथा राजघरानों के जीवन पर आधारित है। इनमें राजा और दासियों के बीच अनैतिक संबंध, दासियों का शोषण, टूटती मर्यादाएँ, दहेज प्रथा, अंतर्जातीय विवाह की समस्याओं से लोगों को अवगत कराकर इनके समाधान प्रस्तुत किये है। उपन्यास के अंत में केयूर भूषण ने राजपुत्र वीरमणी का विवाह एक दलित वैश्या की पुत्री रत्नप्रभा से बिना दान–दक्षिणा, बिना दहेज और बिना दावत के कराकर अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में जनजागृति लाने का प्रयास करते हुए इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जब जमींदारी प्रथाएं समाप्त होने लगी तब भारतीय समाज में नए सामाजिक मूल्यों पर बल दिया गया। अछूतों और दलितों को समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाने लगा। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे। उस समय हमारा सामाजिक परिवेश प्रेरणादायक और जागरूकता को बढ़ाने वाला था। जब हमारी चेतना जागृत हुई तब जाति और कुल की आड़ में किए जाने वाले अनैतिक कार्य खुल गए और नयी चेतना निर्मित होने लगी। निम्न जाति कहे जाने वाले लोगों को बराबरी का दर्जा प्राप्त हुआ। उनके उपन्यासों में इसी परिवेश का चित्रण किया गया है। 'कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा' नामक उपन्यास में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनैतिकता, किसानों की व्यथा और सामाजिक विडंबनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। इस उपन्यास में केयूर भूषण ने चौतू नामक किसान के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की समस्याएं जैसे– कर्ज, गरीबी, भुखमरी, मजबूरी, आत्महत्या जैसी तमाम विडंबनाओं से भरी किसानों के जीवन की सच्चाई को अपनी लेखनी के माध्यम से सबके सामने रख दिया है। रामप्रसाद और सोनकली के माध्यम से केयूर भूषण ने अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता देकर जागरूकता का परिचय दिया है। 'समे के बलिहारी' उपन्यास आधुनिक समाज में बदलते हुए परिवेश का चित्रण है। जिसमे समय के महत्व को बताते हुए दोहरे चरित्र वाले स्वार्थी और पाखंडी नेताओं का असली चेहरा खुलकर लोगो के सामने आता है। इन नेताओं का विरोध डॉ. अनिल,

अनिता, मेनका और अहमद अली जैसे युवाओं के माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन का विरोध करते हुए लोगों में जनचेतना लाने का प्रयास किया गया है।

केयूर भूषण की कहानियों में जीवन के परिवेश में यथार्थ बोध की अभिव्यक्ति हुई है। समाज सुधार के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को उद्दीप्त करने का प्रयास इनकी कहानियों का मुख्य उद्देश्य है। निम्न वर्गो का शोषण, नारी की दयनीय दशा, वर्ग भेद, अस्पृश्यता, धार्मिक अंधविश्वास ये कुछ ऐसे बिंदु थे जो केयूर भूषण की प्रखर राष्ट्रीय चेतना में दंश की तरह चुभते थे। इन सारी समस्याओं को उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है जो राष्ट्रीय चेतना के प्रचार–प्रसार में बाधक थे। केयूर भूषण की प्रसिद्ध कहानी 'कालू भगत' में समाज के निम्नवर्गीय जीवन के यथार्थ का चित्रण किया गया है। इनमें दलितों के जीवन की समस्याएं, उच्च वर्ग के अत्याचार, छुआछूत, ईर्ष्या–द्वेष आदि सामाजिक बुराईयों का समाधान करने का प्रयत्न किया गया है। 'डोंगराही रद्दा' और 'आँसू म फिले अंचरा' कहानी में नारी पर होने वाले अत्याचार जैसे–दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, विधवा समस्या, वैश्यावृत्ति आदि अनेक समस्याओं को केयूर भूषण ने अपनी रचना संसार में वर्णन किया है। इन समस्याओं को यथासंभव समाधान करने का भरसक प्रयास भी किया है।

केयूर भूषण एक कवि भी थे। उनकी राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित करने वाली कविताओं का मुख्य उद्देश्य आजादी के लिए आत्म बलिदान की प्रेरणा देना, देशवासियों में उमंग और उत्साह जगाकर स्वराज्य प्राप्ति हेतु चेतना जागृत करना, गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन का प्रचार करना, विदेशी सत्ता के शोषण और खामियों को उजागर करना तथा भारतीय जनता को एकता के सूत्र में आबद्ध करने हेतु प्रेरित करना था। किसानों के शोषण के खिलाफ उन्होने एक साम्यवादी की हैसियत से आंदोलन भी किया था। इसके लिए उन्होने अपने आपको शर्मिंदा महसूस नही किया बल्कि किसानों और गरीबों के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। राष्ट्रीय चेतना से ओत–प्रोत उनकी कविताओं में जागौ, जुद्ध, संदेश, किसान, हमर देश, और संजोर रहे ल परही प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है।

उपर्युक्त समस्त विवेचन से निष्कर्ष स्वरूप कह सकते है कि केयूर भूषण की रचनाओं में युग चेतना की अभिव्यक्ति यथार्थ के धरातल पर हुई है। इनकी रचनाओं में आम आदमी से जुड़ी हुई वह हर बात है जो जीवन में घटित होती है। उन्होंने देश के स्वातंत्र्योत्तर काल में सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक आदि जीवन के विभिन्न क्षेत्रो में व्याप्त अन्याय, शोषण, अत्याचार, असंगति को महसूस कर अपनी अनुभूतियों को रचनाओं में उजागर किया है। इन विसंगतियों के प्रति लोगों में चेतना जागृत कर समाधान प्रस्तुत किये है। इस प्रकार निःसंकोच कहा जा सकता है कि केयूर भूषण प्रगतिशील विचारधारा को अपनाकर युगचेता साहित्यकार के रूप में उभरकर सामने आते है।

शोधार्थी
हेमचन्द यादव, विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)
मोबा. 7477266322

संदर्भः–

1. भूषण केयूर, कुल के मरजाद, उपन्यास, आशु प्रकाशन रायपुर, पृ. 4, 5.
2. भूषण केयूर, समे के बलिहारी, उपन्यास, आशु प्रकाशन रायपुर, पृ.
3. भूषण केयूर, लोकलाज, उपन्यास, आशु प्रकाशन रायपुर, पृ. 3, 4.
4. भूषण केयूर, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, उपन्यास, जनचेतना रायपुर पृ. 8, 9.
5. भूषण केयूर, कालू भगत, कहानी संग्रह, आशु प्रकाशन रायपुर, पृ. 3,
6. भूषण केयूर, हीरा के पीरा, निबंध संग्रह, आशु प्रकाशन रायपुर, पृ. 16,
7. वही, पृ. 18, 19.

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

की हार्दिक शुभकामनाएं

पंजीयन संख्या
RNI No. MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2021-2023 उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिष्ठा में ,

पत्र व्यवहार का पता :
20, बागपुरा, सांवेर रोड,
उज्जैन 456 010 (म.प्र.)

प्रकाशक, मुद्रक **पिंकी सत्यप्रेमी** ने भारती दलित साहित्य अकादमी की ओर से
मालवा ग्राफिक्स, 29, वररुचि मार्ग, गुरुद्वारे के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन फोन : 0734-4000030 से मुदित एवं
20, बागपुरा, सांवेर रोड, उज्जैन 456 010 (म.प्र.) फोन : 0734-2518379 से प्रकाशित।

सम्पादक : डॉ. तारा परमार